fgekpy in'k Hkk"kk] dyk ,oe lLdfr vdkneh] f'keyk&171001 d y[kk vof/k 04@2009 l 03@2010 rd dk vd{k.k ,oe fujh{k.k ifronuA

Hkkx&,d

1 xr vd{k.k ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत अंकेक्षण आपत्तियों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

¼d½ vd{k.k ifronu vof/k 04@84 l 03@85

1	पैरा 6	अनिर्णीत

¼[k½ vd{k.k ifronu vof/k 04@85 l 03@87

1	पैरा 17(आर)5	अनिर्णीत

¼x½ vd{k.k ifronu vof/k 04@87 l 03@88

1	पैरा 7	अनिर्णीत

¼?k½ vd{k.k ifronu vof/k 04@92 l 03@93

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत

¼³½ vd{k.k ifronu vof/k 04@93 l 03@94

1	पैरा 18(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 25	अनिर्णीत

¼p½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@94 ls 03@95

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 9(क से ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा 27(घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 30(ग)	अनिर्णीत

¼N½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@95 ls 03@96

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 19	अनिर्णीत
3	पैरा 23(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 27	अनिर्णीत
5	पैरा 28	अनिर्णीत
6	पैरा 37	अनिर्णीत
7	पैरा 40(क)	अनिर्णीत

¼t½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@96 ls 03@97

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 19	अनिर्णीत

3	पैरा 20	अनिर्णीत
4	पैरा 23(1,2,3,4 व 5)	अनिर्णीत
5	पैरा 28	अनिर्णीत
6	पैरा 28(1)	अनिर्णीत
7	पैरा 28(4,5,6)	अनिर्णीत
8	पैरा 34(1)	अनिर्णीत
9	पैरा 35(1,2,3)	अनिर्णीत
10	पैरा 36	अनिर्णीत
11	पैरा 37(1 से 4)	अनिर्णीत
12	पैरा 38(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 39(ए)	अनिर्णीत

¼>½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@97 ls 03@98

1	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 15	अनिर्णीत
3	पैरा 16	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत
5	पैरा 19	अनिर्णीत
6	पैरा 22	अनिर्णीत

¼¥½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@98 ls 03@99

1	पैरा 11	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत
3	पैरा 14	अनिर्णीत
4	पैरा 23	अनिर्णीत

¼V½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@99 ls 03@2001

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 27(क, ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 27(घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 29	अनिर्णीत

¼B½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@2001 ls 03@2002

1	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 16(क,ख,ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 17	अनिर्णीत
5	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत

6	पैरा 23(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा 24	अनिर्णीत	
8	पैरा 26(क)(ख)	अनिर्णीत	

¼M½ vd{k.k ifronu vof/k 04@2002 l 03@2003

1	पैरा 11	समाप्त	(राशि ₹12,549.00 की वसूली के अभिलेख के सत्यापन उपरान्त)
2	पैरा 14	अनिर्णीत	
3	पैरा 15(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा 26	अनिर्णीत	
5	पैरा 28	अनिर्णीत	
6	पैरा 30	अनिर्णीत	

¼<½ vd{k.k ifronu vof/k 04@2003 l 03@2004

1	पैरा 11	अनिर्णीत	
2	पैरा 16	अनिर्णीत	
3	पैरा 18	अनिर्णीत	
4	पैरा 19	अनिर्णीत	
5	पैरा 21	अनिर्णीत	

6 पैरा 22 अनिर्णीत

7 पैरा 23 अनिर्णीत

8 पैरा 25 अनिर्णीत

¼.k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@2004 ls 03@2005

1 पैरा 11 अनिर्णीत

2 पैरा 15 अनिर्णीत

3 पैरा 16 अनिर्णीत

¼r½ vads{k.k izfrosnu vof/k 04@2005 ls 03@2006

1 पैरा 7 अनिर्णीत

2 पैरा 13 समाप्त (नवीनतम स्थिति पैरा संख्या 7 में % बार दर्शाई है)

3 पैरा 14 अनिर्णीत

4 पैरा 15 समाप्त (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13 में प्रारूपित है)

5 पैरा 16 अनिर्णीत

6 पैरा 17 समाप्त (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 14 में प्रारूपित है)

7 पैरा 18 समाप्त (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 14 में प्रारूपित है)

8	पैरा 19	अनिर्णीत	
9	पैरा 21	अनिर्णीत	
10	पैरा 22	समाप्त	(मूल अभिलेख के सत्यापन पर)

¼Fk½ vd{k.k ifronu vof/k 04@2006 l 03@2007

1	पैरा 7	अनिर्णीत	
2	पैरा 8	समाप्त	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर कि किराया 04/2007 से संषोधित था)
3	पैरा 9	समाप्त	(प्रस्तुत किए गए उत्तर एवम् अभिलेख के सत्यापन पर)
4	पैरा 19	अनिर्णीत	
5	पैरा 21	अनिर्णीत	
6	पैरा 22	अनिर्णीत	
7	पैरा 2	3अनिर्णीत	
8	पैरा 24	अनिर्णीत	
9	पैरा 25	अनिर्णीत	
10	पैरा 26	अनिर्णीत	
11	पैरा 27	समाप्त	(श्री कर्म चन्द से ₹230.00 की राशि की वसूली के मूल अभिलेख के सत्यापन पर)

¼n½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@2007 ls 03@2008

1	पैरा 7	अनिर्णीत	
2	पैरा 9	अनिर्णीत	
3	पैरा 10	अनिर्णीत	
4	पैरा 11	अनिर्णीत	
5	पैरा 12	अनिर्णीत	
6	पैरा 14	अनिर्णीत	
7	पैरा 15	अनिर्णीत	
8	पैरा 16	समाप्त	(मूल अभिलेख में निविदाएं एवम् तुलनात्मक विवरण उपलब्ध है)
9	पैरा 17	अनिर्णीत	
10	पैरा 18	अनिर्णीत	
11	पैरा 19	अनिर्णीत	

¼/k½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 04@2008 ls 03@2009

1	पैरा 3	समाप्त	
2	पैरा 4	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 में पुनः प्रारूपित की गई है)
3	पैरा 5	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में प्रारूपित)

4	पैरा 6	समाप्त	(अब ई0पी0एफ0 अंषदान अलग दर्षाया है)
5	पैरा 7	समाप्त	(ब्याज प्राप्ति का लेखांकन ठीक किया है)
6	पैरा 8	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 में पुनः प्रारूपित की गई है)
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	समाप्त	(अग्रिम रजिस्टर पेज संख्या 46 में दर्ज कर दिया है व समायोजन बिल संख्या 24, दिनांक 1.06.2010 द्वारा किया है)
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13 में समाविष्ट है)
15	पैरा 17	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 114 में समाविष्ट है)
16	पैरा 18	समाप्त	(एक्सैसन रजिस्टर में इन्द्राज का अवलोकनोपरान्त)
17	पैरा 19	अनिर्णीत	
18	पैरा 20	अनिर्णीत	
19	पैरा 21	अनिर्णीत	

2 orleku vid{k.k ¼&

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवम् भाषा अकादमी षिमला–171002 के लेखओं अवधि 4/2009 से 03/2010 तक की लेखा परीक्षा श्री अनिल कुमार मेहरा, अनुभाग अधिकारी व श्री हितेश शर्मा, आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 16.08.2010 से 26.08.2010 तक किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किए गए हैं। माह 11/2009 का चयन आय व 03/2010 का चयन व्यय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया। आगामी अनुच्छेदों में दर्षाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं पर आधारित है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचनाओं या सूचना उपलब्ध न करवाने बारे जिम्मेवार नहीं हैं। यह विभाग अंकेक्षण हेतु चयनित किए गए मासों के लिए ही उत्तरदायी है।

3 y[kk ijh{kk 'kYd ¼&

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवम् भाषा अकादमी के अवधि 04/2009 से 03/2010 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8,800.00 बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के पत्र संख्या 103, दिनांक 26.08.2010 के द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009 के नाम बैंक ड्राफ्ट तैयार करके भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr ¼&

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवम् भाषा अकादमी की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी जिसका विवरण परिशिष्ट ''क(1)'' में दिया गया है :–

दिनांक 01.04.2009 को प्रारिम्भक शेष	13,18,855.90
प्राप्तियां	(+) 93,93,911.00
;kx	1]07]12]766-90
व्यय	(–) 92,93,639.00
दिनांक 31.03.2010 को अन्तषेष	14,19,127.90

vUr'k"k dk fooj.k ¼&

(1) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के खाता संख्या 85925 में जमा राशि	11,62,846.16
(2) यूकों बैंक खाता संख्या 3741 में जमा राशि	1,38,992.00
(3) हिमाचल प्रदेश को0 आपरेटिव बैंक खाता संख्या 02910 में जमा राशि	70,768.00
(4) स्थाई निधि	2,000.00
(5) संस्कृति सदनों में बकाया राशि	9,521.74
(6) अग्रिम राशि (प्रार्थी जयन्ती हेतु अग्रिम) परिशिष्ट एक के अनुसार	35,000.00
	₹14]19]127-90

5 lgk;rk vuqnku %&

हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवम् भाषा अकादमी को हिमाचल प्रदेश सरकार से ₹87,65,000.00 की राशि वेतन, भत्तों, कार्यालय व्यय, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों व अकादमी के विकास प्रसार के लिए प्राप्त हुई, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''दो'' में दिया गया है।

6 jkf'k ₹8]30]000-00 dk mi;kx u fd;k tkuk %&

वित्त वर्ष 2009–2010 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष में सरकार से प्राप्त अनुदान में राशि ₹3,50,000.00 भाषा एवम् संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या भाषानि–36/90 बजट 5823, दिनांक 28.03.2009 के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों से सम्बन्धित पुस्तकों के प्रकाषन हेतु प्राप्त हुए थे तथा उक्त पत्र के अनुसार प्राप्त हुई राषि का उपयोग वर्ष 2008–2009 में किया जाना वांछित था इसके अतिरिक्त ₹4,80,000.00 की राशि भाषा एवम् संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या भाषानि–42/2008–कला–6028, दिनांक 28.03.2009 के अन्तर्गत वाध्य यन्त्रों की खरीद हेतु प्राप्त हुए थे तथा उक्त पत्रानुसार प्राप्त हुई राषि का उपयोग वर्ष 2008–2009 में किया जाना वांछित था। परन्तु उपरोक्त राशियां 31.03.2010 तक उपयोग नहीं की गई थी। अनुदान के रूप में प्राप्त राशियां (₹350000+480000) = ₹8,30,000.00 जिस प्रयोजन हेतु प्राप्त हुए थे खर्च न किए जाने के कारण आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाए जाएं। इसके अतिरिक्त उक्त प्राप्त राशियों के अनुपयोग की स्थिति में वित्त पोषित विभाग को वापिस की जाए या तुरन्त

यथाप्राप्त उपयोग में लाई जाए व उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त पोषित विभाग को प्रस्तुत किया जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

7 vdkneh dh ;ktukvk@mís';kk dh ifrifr gr ikIr vuqnku dk 10-40 ifr'kr Hkkx gh O;; gkuk o 'k"k 89-60 ifr'kr Hkkx xj&;ktukvk ij [kp fd;k tkuk %&

वर्ष 2009–2010 में हिमाचल प्रदेश सरकार से ₹87,65,000.00 अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। प्राप्त राशि का उपयोग अकादमी में तैनात कर्मचारियों के वेतन, भत्तों व अकादमी योजनाओं पर व्यय की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सरकार से प्राप्त अनुदान में से अकादमी द्वारा संचालित योजनाओं पर मात्र ₹9,11,611.00 की राशि व्यय की गई है जो कि कुल प्राप्त अनुदान का 10.40 प्रतिषत ही बनता है। जिससे स्पष्ट होता है कि अकादमी द्वारा प्रषासनिक व्ययों/अर्थात गैर–योजना के अन्तर्गत अधिकांश राशि व्यय की जा रही है जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि अकादमी के उद्देष्यों की पूर्ति हेतु नाम मात्र राशि ही व्यय की जा रही है। इस प्रसंग में पिछले पांच वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन का अवलोकन करने पर पाया गया कि अकादमी की योजना व्यय पर वर्ष दर–वर्ष प्रतिषतता भाग में कमी हुई है जबकि गैर योजना व्यय की प्रतिषतता में वर्ष 2007–2008 को छोड़ कर उत्तरात्तर बढ़ौतरी ही हुई है, पिछले पांच वर्षों में योजना व गैर–योजना पर प्रतिषत–बार व्यय निम्नलिखित था :–

foÙk o"kZ	;ktukvk ij O;; ¼ifr'kr e½	xj&;ktukvk ij O;; ¼ifr'kr e½
2005–2006	15.34%	84.66%
2006–2007	14.62%	85.38%
2007–2008	20%	80%
2008–2009	11.32%	88.68%
2009–2010	10.40%	89.60%

योजनाओं/योजना व्यय में वर्ष–दर–वर्ष कमी होना एक चिन्ता का विषय हे जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि अकादमी के मूल उद्देष्य हेतु कोई विषेष रूचि नहीं ली जा रही है। अतः सम्पूर्ण प्रकरण उच्चाधिकारियों के

ध्यानार्थ इस आष्य के साथ लाया जाता है कि अकादमी के योजना व्यय को बढ़ाने हेतु विषेष कदम उठाए जाएं ताकि अकादमी के उद्देष्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

8 jkf'k ₹78]760-00 ,u0lh0ih0;0,y0 }kjk lpkfyr dEi;Vj lUVj ls Hkou fdjk;s dh :i es ikIr u djuk %&

हिमाचल भाषा, कला एवम् संस्कृति अकादमी का संस्कृति सदन, षिमला एक किराए के भवन में चलाया जा रहा है जिसके लिए अकादमी द्वारा प्रतिमाह ₹7,876.00 किराए के रूप में खर्च किए जा रहे हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्कृति सदन के भवन का लगभग आधा भाग एन0सी0पी0यू0एल0 (National Council for Promotion of Urdu Language under the Ministry of Human Resources Development) द्वारा संचालित कम्पयूटर सैन्टर द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है जिसका नोडल अधिकारी स्वयम् सचिव, हिमाचल भाषा एवम् संस्कृति अकादमी है तथा कम्पयूटर सैन्टर की समस्त आय व व्यय का ब्योरा अलग से रखा जा रहा है जिसके लिए एक ''कार्पस फंड'' का गठन किया गया है। माह जून, 2008 से पूर्व भवन का आधा किराया कम्पयूटर सैन्टर से प्राप्त/वसूल किया जाता था तथा इस सम्बन्ध में एन0सी0पी0यू0एल0 से भी स्वीकृति प्राप्त है परन्तु जून, 2008 के बाद अकादमी द्वारा आधे किराये अर्थात ₹7,876.00/2=₹3,938.00 प्रतिमाह की प्राप्ति नहीं की गई हे जिसके फलस्वरूप एक तो अकादमी के व्यय में वृद्धि हुई है तथा दूसरा षिमला संस्कृति सदन के कुल व्यय मे अनायास वृद्धि हुई है अतः जून, 2008 से मार्च, 2010 तक की किराए के रूप में (₹7876/2 x 20 माह) = ₹78,760.00 की राशि की वसूली कम्पयूटर सैन्अर से करके अकादमी खाते में जमा की जानी सुनिष्चित की जाए तथा भविष्य में भी इसे नियमित रूप से प्राप्त की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना अगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

9 jkf'k ₹4]500-00 fpfUgr okgu dh de olyh djuk %&

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन(सी)14/1–2/92–खण्ड–2, दिनांक 17.11.2000 के अनुसार चिन्हित वाहन की वसूली ₹500.00 प्रतिमाह की जानी वांछित है। अकादमी का वाहन संख्या एच0पी0–03–0399 (मारूति 800), श्री वी0एस0 जसवाल, सचिव, हिमाचल भाषा, कला व संस्कृति अकादमी, षिमला के साथ चिन्हित था वर्ष 2009–2010 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री वी0एस0 जसवाल से माह 06/2009 तक की ही वसूली चिन्हित वाहन के रूप में ₹500 प्रतिमाह के रूप में की गई थी तथा शेष अवधि 07/2009 से 03/2010 अर्थात नौ महीनों की वसूली चिन्हित वाहन के रूप में नहीं की गई है। अतः सरकार के विहित आदेषों के अनुसार अवधि 07/2009 से 03/2010 तक की वसूली ₹500 प्रतिमाह की दर से ₹4,500.00 की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना अगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

10 jkf'k ₹760-00 ;k=k HkÙkk d : i e vf/kd Hkxrku %&

श्री देव राज शर्मा के यात्रा दावे के अंकेक्षण में पाया गया कि उन्होंने दिनांक 29.01.2010 को वातानुकुलित बस (वोल्वो) द्वारा षिमला से दिल्ली व दिनांक 07.02.2010 को वापिस दिल्ली से षिमला के लिए भी वातानुकुलित बस (वोल्वो) द्वारा यात्रा की है जिसके एवज़ के रूप में अकादमी द्वारा ₹690.00 व ₹670.00 बस किराए के रूप में भुगतान किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र/अधिसूचना संख्या फिन–सी–वी(7)–14/98, दिनांक 08.12.1998 द्वारा जारी निर्देषों के अनुसार वे वातानुकुलित बस में यात्रा करने के पात्र नहीं थे क्योंकि इस दर्जे मे वे ही अधिकारी पात्र है जिनका मूल वेतन 10,000 रुपये से अधिक है तथा श्री देव राज शर्मा, पुस्तकाध्यक्ष का मूल वेतन यात्रा अवधि के दौरान ₹9,750.00 था तथा वास्तविक रूप से वे डी–लक्स बस में यात्रा करने के पात्र थे जिसका एक तरफा किराया ₹300 है अतः श्री देव राज शर्मा को यात्रा दावे के रूप में (690+670)–(300+300)=₹760 का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अकादमी खाते में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

11 ori u fu/kkj.k %&

¼d½ u, ori u ekuk dk ykxw dju d QyLo:i ori u dk fu/kkj.k xyr djuk %&

अकादमी में नए वेतनमानों को 1.1.2006 से लागू करने के फलस्वरूप विभिन्न कर्मचारियों एवम् अधिकारियों का वेतन निर्धारण भी तदानुसार किया गया, अंकेक्षण के दौरान अकादमी के कर्मचारियों एवम् अधिकारियों की सेवा पंजियों एवम् नस्तियेां के अवलोकन के दौरान निम्न तीन अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण पाए गए जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए :–

¼1½ Jh v'kkd gl] ofj"B vuql /kku vf/kdkjh

vof/k frfFk	iow ori u ekuk e ey ori u ¼ori u eku 7000&10980½	vdkneh }kjk u, ori u ekuk e r; ori u ¼orueku 10300&34800½	ori u tk okLrfod :i l s n;	vUrj

$xzsM is 4400

1.1.2006	11,660.00	21690+4400=26,090.00	21690+4400=26090	शून्य
1.8.2006	12,000.00	22480+4400=26,880.00	22480+4400=26880	शून्य
1.8.2007	12,375.00	23290+4400=27,690.00	23290+4400=27690	शून्य

fnukad 16-02-2008 ls ofj"B vuqla/kku vf/kdkjh ds in ij inksUufr

¼osrueku 7220&11660½		¼osrueku 10300&34800$5000½		
16.02.08	12,750.00	24120+4400=28,520.00	23290+5500=28290	230
01.08.08	13,125.00	25000+5000=30,000.00	23290+830+860+ 5000=29980	20
01.08.09	13,500.00	25900+5000=30,900.00	25880+5500=30880	20

¼2½ Jh ujsUnz 'kekZ v/kh{kd xzsM&2

¼osrueku 7000&10980½		¼osrueku 10300&34800½$4400		
01.1.2006	10980	20430+4400=24830	20430+4400=24830	शून्य
01.03.06	11320	21180+4400=25580	21180+4400=25580	शून्य
01.03.07	11660	21950+4400=26350	21950+4400=26350	शून्य

fnukad 16-02-2008 dks v/kh{kd xzsM&1 esa inksUufr

¼osrueku 7220&11660½		¼osrueku 10300&34800½$5000		
16.02.08	12,000.00	22760+5000=27760	21950+5000=26950	810
01.03.08	12,375.00	23600+5000=28600	21950+790+820+ 5000=28560	40
01.03.09	12,750.00	24460+5000=29460	24420+5000=29420	40
01.03.10	–	25350+5000=30350	25310+5000=30310	40

¼3½ Jhefr Lo.kZ yrk] ofj"B lgk;d

27.4.2008	–	14750+4200=18950	14730+4200=18930	20
01.04.09	–	15320+4200=19520	15300+4200=19500	20

अतः वेतन निर्धारण मे आवष्यक सुधार एवम् वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

¼[k½ vf/kd osru fu/kkZj.k dk QyLo:i ₹506-00 dk osru HkÙkk dk :i esa vf/kd vnk;xh ¼&

उपरोक्त पैरा–(क) के अनुसार गलत किए गए वेतन निर्धारण के फलस्वरूप दिनांक 01.09.2010 में नए वेतनमानों के अनुरूप वेतन आहरण करने के कारण उपरोक्त तीनों अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक वेतन की अदायगी की गई है जिसका विवरण निम्नलिखित है

01-09-2010 ls 31-03-2010 rd vkgfjr vf/kd osru

श्री अषोक हंस	150.00
श्री नरेन्द्र शर्मा	306.00
श्रीमति स्वर्णलता	150.00
	₹506-00

अतः अधिक किए गए भुगतान ₹506.00 को सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूल करके अकादमी लेखों में जमा करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

12 u, osru ekuksa dks ykxw djus lEcU/kh fu.kZ; dks vdkneh dh dk;Zdkjh ifj"kn ls Lohd`r fd, fcuk vnk;xh djuk ¼&

वर्ष 2009–2010 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अकादमी कर्मचारियां एवम् अधिकारियेां को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पांचवें वेतन आयोग की अधिसूचना के समरूप माह सितम्बर, 2009 दये अक्तुबर, 2009 से संषोधित वेतन मानों की अदायगी की जा रही है जबकि अकादमी के नियमों/विनियमों के अनुसार नए वेतन मानों को लागू करने की संस्तुति/स्वीकृति अकादमी की कार्यकारी परिषद से ली जानी अपेक्षित थी जो नहीं ली गई है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आष्य के साथ लाया जाता है नए वेतन मानो ंको विहित अनुदेषों के दृष्टिगत कार्यकारी परिषद से लागू करने के लिए स्वीकृत करवाया जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

13 jkf'k ₹6]92]309-00 dh iqLrdsa ,oe~ ykdxhrksa dh dEI;wVj fcØh gsrq 'ks"k ¼&

पुस्तकों/मैगज़ीन्स के स्टॉक रजिस्टर एवम् कैसेटस के स्टॉक रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि अकादमी द्वारा समय–समय पर तैयार पुस्तकें एवम् कैसटस में से ₹4,95,089.00 की पुस्तकें व ₹1,97,220.00 की कैसटस बिक्री हेतु शेष थी, इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया अभिलेख स्वतः पुष्टि करता है कि कुछ पुस्तकों की बिक्री मात्र नगण्य रही है। अतः बिक्री हेतु तैयार करवाई गई पुस्तकों व सभी कैसेटस की बिक्री हेतु विषेष प्रयास किए जाएं। (बिक्री हेतु शेष सामग्री का पूर्ण विवरण परिशिष्ट ''ख(1)'' व ''ख(2)'' पर संलग्न है।

14 jkf'k ₹31]150-00 dh m/kkj cph xb iLrdk ,oe ykdxhrk dh dlVl dh clyh gr 'k"k %&

अकादमी द्वारा उधार बेची गई पुस्तकों एवम् कैसेटस की राशि क्रमशः ₹13,472.00 व ₹17,678.00 कुल ₹31,150.00, दिनांक 31.03.2010 वसूली हेतु शेष थे। उधार बेची गई पुस्तकों एवम् कैसेटस की वसूली हेतु विषेष ध्यान देने की आवष्यकता है। (उधार बेची गई सामग्री का विवरण परिशिष्ट–ग(1) व ग(2) में संलग्न है) अतः अपेक्षित वसूली हेतु त्वरित उचित कार्रवाई की जाए व अनुपालना अगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें।

15 lLdfr lnuk d j[k&j[kko ckj %&

हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवम् संस्कृति अकादमी द्वारा षिमला व हमीरपुर में लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों, शोधार्थियों के ठहरने के लिए संस्कृति सदन चलाए जा रहे हैं वित्त वर्ष 2009–2010 में प्रस्तुत किए गए आय–व्यय विवरण के अवलोकन में पाया गया कि हमीरपुर संस्कृति सदन से कुल आय ₹15,314.00 दर्शाइ है तथा व्यय ₹9,677.00 दर्षाया है तथा इसी प्रकार संस्कृति सदन षिमला की आय ₹14,000.00 व व्यय ₹1,39,124.00 दर्षाए हैं (जिसका विवरण परिशिष्ट ''नौ'' पर उपलब्ध है) इस प्रकार षिमला संस्कृति सदन पर आय से व्यय लगभग 14 गुणा अधिक था। संस्कृति सदनों में लेखकों, साहित्याकारों शोधर्थियों अकादमी सदस्य व विभाग के कर्मचारियों का प्रतिदिन किराया ₹25.00 प्रति कमरा व अन्य व्यक्तियों से ₹50.00 किराया प्रति कमरा निर्धारित किया है जो कि अन्य विभागों के विश्राम गृहों एवम् सरकारी उपक्रमों द्वारा संचालित विश्राम गृहों की दरों से कहीं बहुत ही कम है अतः संस्कृति सदनों की आय को बढ़ाने हेतु ठोस एवम् प्रभावशाली नीति बनाने एवम् उचित कदम उठाने की आवष्यकता है। अतः उपरोक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवष्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

16 LVkd dk iR;{k lR;kiu u fd;k tkuk %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अकादमी के विभिन्न स्टॉक जैसे कि छपवाई गई पुस्तकों व पत्रिकाओं का शेष, फर्नीचर, मषलन/कम्पयूटर व अन्य नाषवान वस्तुओं से सम्बन्धित स्टॉक आदि का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं

किया गया है क्योंकि इस सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टरों में वस्तुओं/स्टोर के प्रत्यक्ष सत्यापन का सम्बन्धित पृष्ठों पर प्रमाण पत्र दर्ज किया हुआ नहीं पाया गया। जबकि नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन कर पाए गए स्टॉक का प्रमाण–पत्र दर्ज किया जाना आपेक्षित है। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रतिवर्ष स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

17 y?k vkifÙk fooj.kh ¼& लघु आपति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी तथा समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर दिया गया था।

18 fu"d"k ¼& लेखों में विषेष सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : 1–269/74–फिन(एल0ए0)खण्ड–17 दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

iftdr ¼& (1) सचिव हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवम् संस्कृति अकादमी षिमला–171001 को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

(2) सचिव भाषा एवं संस्कृति (हिमाचल प्रदेश) सरकार षिमला–171002.

(3) निदेषक, हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति षिमला–171009 हिमाचल प्रदेष।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vui dekj½